फा.सं.एफ.1/28(08)/2023-भ.-III

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-III अनुभाग

पद का नाम	समावेशी शिक्षा शाखा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में पर्यवेक्षक, समावेशी शिक्षा जिला के पद की 03 (तीन) अनारक्षित रिक्तियां।
विज्ञापन सं.	08/2023
रिक्ति सं.	23040804322

महत्वपूर्ण अनुदेश:

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु लघु सूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **10.05.2024** तक **sort3.upsc@nic.in** पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तो ऐसे आवेदनों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। परन्तु इसकी जांच आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संबंध में ऑनलाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे के अनुसार की जाएगी। तत्पश्चात्, यदि संवीक्षा संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किए जाएंगे। उक्त में से किसी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	**(क) शैक्षणिक:** (**i**) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। (**ii**) बी.एड. (विशेष शिक्षा)। या बी.एड. (सामान्य शिक्षा) विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ या विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा। या बी.एड. (सामान्य शिक्षा) और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण-पत्र। या विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। या विशेष शिक्षा (बहु दिव्यांगता : शारीरिक और तंत्रिका संबंधी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। या विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (चलने में असमर्थता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात)। या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने में माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। या बधिरों को पढ़ाने में वरिष्ठ डिप्लोमा। या दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को पढ़ाने में बी.ए., बी.एड.। (**iii**) भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के साथ पंजीकरण। **(क) अनुभव:**

	दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।
वांछनीय योग्यता (डी क्यू)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विशेष शिक्षा में पीएच.डी.।

अपनाए गए मानदंड	i) संवीक्षा, पहले, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑन-लाइन आवेदन में भरी सूचना के आधार पर की गई है और केवल तभी जब उसमें दी गई सूचना के अनुसार आवेदक के पद के लिए पात्र पाए जाने पर, आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है। ii) आवेदनों की संवीक्षा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है। iii) संवीक्षा हेतु केवल ऑन-लाइन भर्ती आवेदनों (ओआरए) में किए गए दावों को ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में माना गया है। केवल उन उम्मीद्वारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसे दावों के संबंध में सूचना दी है जो उनकी अ.यो.-क और अ.यो.-ख और वा.यो. के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना दिए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। iv) अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार, इस मामले में एम.एड. योग्यता को मास्टर डिग्री के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। v) ऐसे उम्मीदवारों पर विचार किया गया है जिन्होंने ओआरए के अनुभव मॉड्यूल में अपने अनुभव का उल्लेख नहीं किया है लेकिन ओआरए के विविध मॉड्यूल में इसका उल्लेख किया गया है और अपेक्षित समर्थित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। तथापि, वे आवेदन जिनमें अ.यो. धारित करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए है लेकिन ओआरए में इसका कहीं भी दावा नहीं किया गया है, उन्हें उपर्युक्त मानदंड संख्या: i एवं iii के संदर्भ में जैसा भी मामला हो एलईक्यू-क, एलईक्यू-ख या एलडीक्यू के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है। vi) आयोग के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर तभी विचार किया गया है, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है, यदि उसमें अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो। vii) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। viii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए है। ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया

	जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। **नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

<u>तीन (03) अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदनों की संवीक्षा:</u>

मानदंड: (i) अ.यो. (क) +अ.यो.(ख) + वा.यो. या

(ii) अ.यो.(क) + अ.यो.(ख) को 09 वर्ष और 03 महीने या उससे अधिक तक बढ़ाया गया।

(i) अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) + वा.यो.

<u>साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु</u>:

अनुक्रमांक:-

072 130# 142* 161 169

(05 उम्मीदवार)

\# नाम में भिन्नता के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम।

* सरकार से आयु में छूट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम।

<u>अस्वीकृत</u>:

<u>एलडीक्यू</u>:

अनुक्रमांक:- **005**

(01 उम्मीदवार)

<u>एलईक्यू क(i)</u>

अनुक्रमांक: **100**

(01 उम्मीदवार)

<u>अपूर्ण</u>:

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता।	035
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता और पीएच.डी. एवं अंकतालिका नहीं है।	111
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-पत्र/ *उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है।*	

(02 उम्मीदवार)

(ii) अ.यो.(क) +अ.यो.(ख) को 09 वर्ष और 03 महीने या उससे अधिक तक बढ़ाया गया।

साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु:

अनुक्रमांक:-

027*	**028***	**029**	**032***	**036**	**041**	**046***	**049***
062	**064**	**065***	**080**	**091**	**095***	**117**	**118***
125	**130^**	**134**	**150***	**156**	**160**	**162″**	**184**
187	**190**	**195***	**196***	**202**			

(29 उम्मीदवार)

*   सरकार से आयु मे छूट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम।

"   एम.ए. (मनोविज्ञान) डिग्री की प्रति या अ.यो.(ए.आई.) के लिए अनंतिम डिग्री प्रस्तुत करने के अध्यधीन।

^   दोनों मानदंड के तहत लघुसूचीबद्ध किए गए।

अतः, दोनों मानदंडों के माध्यम से लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या:

(33 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

अधिक आयु:

069

(01 उम्मीदवार)

एलईक्यू(क(i))

93   100^ 123   197

(04 उम्मीदवार)

एलईक्यू(क(ii))

003   183

(02 उम्मीदवार)

एलईक्यू(ख):

अनुक्रमांक:-   099

(01 उम्मीदवार)

एलईसी:

अनुक्रमांक:-   005^ 131

(02 उम्मीदवार)

^   दोनों मानदंडों के तहत अस्वीकृत।

अपूर्ण:

कारण	अनुक्रमांक
अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र	026, 081, 148
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता।	094, 096, 111^, 124, 129, 141, 159, 164

अनुभव प्रमाण-पत्र दावे तथा सरकार से आयु में छूट प्रमाण-पत्र से मेल नहीं खाता।	
अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्यों का स्वरूप नहीं।	071
अ.यो.(क(ii) डिग्री की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई।	060
नियुक्ति/ त्याग पत्र/ तैनाती आदेश/ सेवा प्रमाण-पत्र/ कार्यालय आदेश/ वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवारों द्वारा स्वयं स्व-प्रमाण-पत्र/ स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि पर अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है।	

(14 उम्मीदवार)

^ दोनों मानदंडों के तहत अस्वीकृत।

शेष सभी उम्मीदवार जिन्होंने 9 वर्ष और 3 महीने से कम अनुभव का दावा किया है, उन्हें एलईसी श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।

(149 उम्मीदवार)

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके **अनुक्रमांक** सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>> आवेदकों की सूची में अपलोड की गई है।

<u>संकेतक:</u>

एलईक्यू-क – अनिवार्य योग्यता-क में कमी।

एलडीक्यू – वांछनीय योग्यता में कमी।

एलईक्यू-ख- अनिवार्य योग्यता-ख में कमी।

एलईसी- बढ़ाए गए मानदंड में कमी।

एनओडी- कार्य का स्वरूप।

ई सी –अनुभव प्रमाण-पत्र।

परामर्शदाता उप सचिव (भ.-III)